

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरा संख्या2230 / 2015..... जिला.....भीलवाडा.....

उनवान-श्री अमित गोखरू पुत्र उगमसिंह गोखरू बनाम राज0 सरकार जरिये उपपंजीयक, भीलवाडा, व अन्य

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

13.01.2016

एकलपीठ
श्री बी के मीणा- अध्यक्ष

निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक मदनलाल गुर्जर एवं अप्रार्थी संख्या एक विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

निगरानी की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादित मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि निगरानीकर्ता द्वारा जमा करा दी गई है जिसकी मूल रसीद संलग्न है। निगरानी में प्रथम दृष्टया विधिक बिन्दु निहित होने से, निगरानी **subject to limitation** श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होने से, विवादित आदेशान्तर्गत की जाने वाली शेष मांग राशि की वसूली कार्यवाही आगामी आदेशों तक स्थगित रखी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की जावे। अप्रार्थीगण के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे बाद जांच जारी किया जावे। मिसल बाद कार्यवाही दिनांक 10.03.2016 को रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष पेश हो।

-362
(बी के मीणा)
अध्यक्ष

निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रेषित विद्वान का नाम डाफ्ट कले हेतु विद्वान उगमसिंह पत्र पेश किया है। पत्रावली वास्तु विद्वान उगमसिंह पत्र पर शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 5-2-16 को S.B के लक्ष्य पेश है।

विद्वान
राजस्थान कर बोर्ड
अध्यक्ष श्री जगदन्वजार मेहरा, अजमेर

4-2-16

05.02.16

~~प्राथी के अधिवक्ता ने राज्य सरकार की विशेष छूट योजना का लाभ लेने हेतु निगरानी कापेस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी की शीघ्र सुनवाई चाही है। राज्य के अधिवक्ता श्री जमील जई से कोर्ट आपत्ते नहीं है। विद्वान श्री उगमसिंह स्विकार कर प्राथी को निगरानी कापेस (withdraw) लेने की सुमति दी जाती है। प्रार्थना पत्र स्विकार किया जायेगा।~~